DEPARTMENT OF AGRICULTURE, HIMACHAL PRADESH

Directorate of Agriculture, Krishi Bhawan
Boileauganj, Shimla-171005
Phone: 0177-2830174, 2830162, 2830618
e-mail: krishibhawan-hp@gov.in **website**: agriculture.hp.gov.in

No. Agr.H(II-Tech) F(7)1/2013-X **Dated: Shimla-5, the** 07 NOV 2026

From

Director of Agriculture
Himachal Pradesh

To

The Director,
Information and Public Relations,
Himachal Pradesh, Shimla-171002

Subject: **Publication of Advertisement regarding portal for online System the procurement of Agri Machinery for the FY 2026-27 in HP State.**

Sir,

Please find enclosed herewith one copy of Advertisement "कृषि मशीनरी खरीद हेतु एग्री मशीनरी पोर्टल **11 नवंबर** 2026 (11 AM) से वर्ष 2026-27 के लिए पुनः आरम्भ" for online procurement of Agri Machinery for the FY 2026-27. This Advertisement may kindly be published in leading newspapers under intimation to this Directorate.

Yours faithfully,

Director of Agriculture,
Himachal Pradesh.

Endst. No. As above: **Dated: Shimla-5, the**

Copy forwarded to the Secretary (Agri.) to the Government of Himachal Pradesh Shimla-2 for information, please.

Director of Agriculture,
Himachal Pradesh.

कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07-NOV-2026

कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा कृषि मशीनरी खरीद हेतु एग्री मशीनरी पोर्टल 11 नवंबर 2026 (11 AM) से वर्ष (2026-27) के लिए पुनः आरम्भ।

कृषि अभियान्त्रिकी के अन्तर्गत सरकार द्वारा पहाड़ी खेती के मशीनीकरण हेतु प्रदेश किसानों में नये विकसित उपकरण तथा आधुनिक मशीनरी को प्रचलित किया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों को बड़े स्तर पर पावर टिलर व पावर वीडर एवं अन्य कृषि उपकरण उपदान पर उपलब्ध करवायें जा रहे है। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि अभियान्त्रिकी उप मिशन (SMAM) के अंतर्गत किसानों को जो भी कृषि उपकरण अनुदान पर मिलते हैं उसके लिए किसान कृषि विभाग के डी बी टी पोर्टल "**agrimachinery.nic.in**" के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं । पोर्टल पूर्ण पारदर्शी तरीके से तथा लॉटरी सिस्टम के सिद्धांत पर काम करता है।

यह पोर्टल **11 नवंबर 2026 (11 AM)** से वर्ष 2026-27 के लिए पुनः सक्रिय हो जायेगा तथा हर जरूरतमंद किसान इसके माध्यम से **16 नवंबर 2026** तक अप्लाई कर सकता है। **17 नवंबर 2026** को लॉटरी के माध्यम से किसानों को सम्बन्धित उपकरणों के लिए चयनित किया जाएगा। कृषि यंत्र लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध होगें। किसानों से आग्रह रहेगा कि किसान केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्म/ स्वीकृत मॉडल ही खरीदें ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

कृषि निदेशक
हिमाचल प्रदेश, शिमला-05